# फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

नी व अन्य ..... बनाम सरकार व अन्य .....

मुकदमा 88, 89, 188 नम्बर 136 / 2012.....सन .....

| तारीख पेशी | हुक्म या कार्यवाही<br>श्री श्री | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.09.2018 | पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 25..6.2012 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 22.1.2014, 22.03.2017, 27.9.2017, 19.7.2018 की पालना में आज दिवस तक प्रतिवागण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 22.1.2014 के पश्चात लगभग चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 22.1.2014, 22.03.2017, 27.9.2017, 19.7.2018 की पालना नही कि गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 27.9.17, 19.7.2018 को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 22.1.14 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 19.7.2018 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>अजमेर<br>उप खण्ड अधिकारी<br>अजमेर | |

Scanned with CamScanner